बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय

पशुधन द्वारा
जीवन में गुणात्मक सुधार

# वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजना/सात निश्चय–2 के तहत समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजना अन्तर्गत बकरी फार्म की स्थापना आवेदन आमंत्रण संबंधी विज्ञापन

# बिहार राज्य के युवक/युवती/किसान/उधमी के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर

विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त ऑनलाईन लिंक खुलने के पश्चात 15 दिनों तक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जा सकता है। इच्छुक किसान/उद्यमी/बकरी पालक इस योजना हेतु विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर दिये गये लिंक पर जाकर अपने आधार संख्या/वोटर कार्ड संख्या से पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

## ऑनलाईन आवेदन हेतू वांछित कागजात

**वांछित भूमि का साक्ष्य** : अद्यतन लगान रसीद/एल0पी0सी0, लीज एकरारनामा, नजरी नक्शा
**वांछित राशि का साक्ष्य** : पासबुक,एफ0डी0,अन्य (प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ जिस पर राशि अंकित हो)
**प्रशिक्षण** : सरकारी संस्थानों से बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
**अनु0 जाति एवं अनु0 जन जाति के आवेदक हेतु** : जाति प्रमाण पत्र
**अन्य** : फोटो, आधार, वोटर आई0डी0, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र

## प्राथमिकताएँ

लाभुकों का चयन ''पहले आओ, पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा। लाभुक के चयन में स्वलागत से बकरी फार्म स्थापित करने तथा बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।

## ऋण/ स्वलागत

आवेदक चाहे तो बैंक से ऋण लेकर अथवा स्वलागत से बकरी फार्म स्थापित कर सकते हैं। बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी। अनुदान की राशि चयनित लाभुकों को दोनों स्थिति में देय होगा।

| क्र. | कोटि | बकरी फार्म की क्षमता | इकाई लागत में (लाख रूपये) | आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि (रूपये में) | | अनुदान | | भूमि की आवश्यकता | हरा चारा उगाने हेतु भूमि की आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | स्वलागत | बैंक ऋण | इकाई लागत का प्रतिशत | अधिकतम अनुदान (लाख रूपये में) | | |
| 1 | सामान्य जाति | 20 बकरी + 01 बकरा | 2.42 | 72,000 | 24,000 | 50 | 1.21 | 1,800 वर्गफीट | – |
| | | 40 बकरी + 02 बकरा | 5.32 | 1,59,000 | 53,000 | 50 | 2.66 | 3,600 वर्गफीट | 50 डिसमिल |
| | | 100 बकरी + 05 बकरा | 13.04 | 3,91,000 | 1,30,000 | 50 | 6.52 | 9,000 वर्गफीट | 100 डिसमिल |
| 3 | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 20 बकरी + 01 बकरा | 2.42 | 58,000 | 24,000 | 60 | 1.45 | 1,800 वर्गफीट | – |
| | | 40 बकरी + 02 बकरा | 5.32 | 1,27,000 | 53,000 | 60 | 3.19 | 3,600 वर्गफीट | 50 डिसमिल |
| | | 100 बकरी + 05 बकरा | 13.04 | 3,12,000 | 1,30,000 | 60 | 7.82 | 9,000 वर्गफीट | 100 डिसमिल |

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत राज्य योजना/सात निश्चय–2 के तहत निर्गत संगत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में लाभुकों का चयन किया जाएगा।
2. विशेष जानकारी संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
3. विस्तृत निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश विभाग के वेवसाईट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html से डाउनलोड किया जा सकता है।

PR No.- 007947 (Animal)D. 2024-25

निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना